भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 905

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में काम करने वाले भारतीय युवाओं के लिए योजना

905. **श्री राजीव रायः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार के लिए विदेश जाने वाले देश के युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अनेक युवाओं को विदेशें में उनके द्वारा अनुबंधित कार्य के अलावा अन्य कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा उन्हें निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है तथा विभिन्न तरीकों से परेशान भी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विदेश में काम कर रहे ऐसे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार ऐसी कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (छ) मंत्रालय उन उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के संबंध में डाटा रखता है, जो ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी देश में विदेशी रोजगार के लिए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान इन ईसीआर देशों में ऐसे भारतीय कामगारों के प्रवास के संबंध में डाटा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रदत्त उत्प्रवास अनापत्ति की संख्या
2024 (19 नवंबर तक)	3,48,629
2023	3,98,317
2022	3,73,425
2021	1,32,675
2020	94,145

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विदेशों में भारतीय कामगारों की कार्य स्थितियों की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए इसके पास मजबूत तंत्र है। विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्रों को समय-समय पर विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं और इनमें वेतन के भुगतान में देरी/भुगतान न करना, पासपोर्ट रोक लेना, अनुचित कार्य स्थितियां, घटिया आवास, कार्य के घंटे बढ़ाना, दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, अत्यधिक काम, प्रवेश/निकास

परमिट/वीजा/अंतिम निकास परमिट के नवीनीकरण की अस्वीकृति, वेतन का भुगतान न करना और उस काम पर न रखना जिसका वचन दिया गया हो आदि शामिल हैं।

हमारे मिशन और केंद्र हर समय सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों की कार्य स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं। सरकार ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर मिशन/केंद्र तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं। वे वॉक-इन इंटरव्यू, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, मदद, सीपीग्राम्स और ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशन/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। जब भी ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, तो मिशन/केंद्र नियोक्ता/प्रायोजक/एजेंट और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हैं और पीड़ित भारतीय कामगार को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय कामगारों को सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीय मिशनों में समर्पित श्रम शाखाएँ (लेबर विंग)हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र नियमित रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए ओपन हाउस और कोंसली शिविर आयोजित करते हैं, ताकि उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, के समाधान सहित कोंसली सेवाएं प्रदान की जा सकें।रोजगार संबंधी मुद्दों से संबंधित शिकायतों को भी शीघ्र निवारण के लिए मेजबान देश के स्थानीय श्रम विभाग और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। जीसीसी देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर, संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों को उठाया जाता है। इसके अलावा,

ऐसे मामलों को नियमित रूप से राजनयिक माध्यमों से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ भी उठाया जाता है।

भारत सरकार रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाने वाले युवाओं सहित भारतीय नागरिकों के बीच कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐसा ही एक उपाय अर्थात प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) विदेश मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच एक संयुक्त सहयोगी साझेदारी है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संभावित प्रवासी श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं। पहला तकनीकी टॉप-अप प्रशिक्षण है, जिसमें पूर्व शिक्षा की मान्यता, मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल है, जिसे एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। दूसरा व्यावहारिक कौशल के संबंध एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) कहा जाता है, जिसे एनएसडीसी, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

******